न्यायालयः उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं

पीठासीन अधिकारी :— श्री रामसिंह राजावत (आर.ए.एस.)
मुकदमा संख्याः— 23 / 2023 दर्ज दिनांक 07.06.2023
जी सी एम एस न0 2023 / 585 निर्णय दिनांकः— 13.07.2023

पूर्णमल पुत्र अर्जनराम जाति मेघवाल निवासी ढाणी काणिका की तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनूं।

आवेदक

बनाम

1. तहसीलदार एवं लैण्ड होल्डर गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनूं।

अनावेदक

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 128 भू राजस्व अधिनियम बाबत् पत्थरगढी

निर्णय

निर्णय दिनांकः— 13.07.2023

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना इस आशय का पेश किया है कि ग्राम ढाणी काणिका की सरहद में प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा न. 1109 रकबा 0.5000 है0, खसरा न. 1110 रकबा 0.1000 है0 अवस्थित है, जिसका प्रार्थी खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 18.05.2023 को पटवारी हल्का खेदड़ा की ढाणी ने मौके पर जाकर सीमाज्ञान किया तथा फर्द सीमाज्ञान तैयार किया था। प्रार्थी अपनी भूमि की फर्द सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि फर्द सीमाज्ञान दिनांक 18.05.2023 के अनुसार ग्राम ढाणी काणिका की सरहद में प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा न. 1109, 1110 का मौके पर पत्थरगढ़ी करवाये जाने हेतु आदेश प्रदान किया जाना प्रार्थनीय है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर तलवी वास्ते जबाबदेही दी गई।

अप्रार्थी ने स्वयं उपस्थित होकर कथन किया कि फर्द सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी की जावे तो कोई आपत्ति नहीं है।

बहस प्रार्थना पत्र श्रवण की गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि में सीमाज्ञान दिनांक 18.05.2023 को किया गया। सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढ़ी के आदेश फरमाया जाना प्रार्थनीय है। बहस में अप्रार्थी ने कथन किया कि फर्द सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढ़ी की जावे तो कोई आपत्ति नहीं है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया गया। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार ग्राम ढाणी काणिका की सरहद में प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा न. 1109 व 1110 अवस्थित है, जो प्रार्थी की खातेदारी की भूमि है। अतः प्रार्थी उक्त खसरा नम्बर की पत्थरगडढी करवाने के अधिकारी है उक्त विवेचन से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पत्थरगढी करवाने का स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.08.07 17:51:02 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगडढी स्वीकार किया जाता हैं तथा तहसीलदार गुढ़ागौड़जी को आदेशित किया जाता हैं कि फर्द सीमाज्ञान दिनांक 18.05.2023 के अनुसार ग्राम ढाणी काणिका की सरहद में प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा न. 1109 व 1110 कुल किता 2 कुल रकबा 0.6000 है0 में पक्षकारान की उपस्थिति में नियमानुसार शुल्क जमा कर सीमाचिन्ह यानी पत्थरगडी करवावे।

13/7/23

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक 13.07.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13/7/23

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.08.07 17:51:02 IST
Reason: SelfAttested